

## अंतरराष्ट्रीय संक्षेप

# कारागार में यौन उत्पीड़न: एक वैश्विक मानवाधिकार संकट

कारागार में यौन उत्पीड़न एक वैश्विक मानवाधिकार संकट है। अनेक मामलों में, कर्ता-धरता कारागार के कर्मी होते हैं जिनपर कैदियों को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी होती है। चाहे कारागार कर्मियों ने इसे अंजाम दिया हो या कैदियों ने, कारागार में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अन्य रूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यातना के रूपों में स्वीकार किए जाते हैं। कैदियों को सुरक्षित रखना सरकार की पूरी ज़िम्मेदारी है। चाहे कसूरवार कोई हो, कारागार में यौन उत्पीड़न अपनी ज़िम्मेदारी नभाने में सरकार की नाकामी का द्योतक है।

ज्यादातर देशों में, कारागारों में यौन उत्पीड़न की वयौपकता का कोई आधिकारिक अध्यायन नहीं है, और बहुत कम कैदी रिपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं कि उनको उत्पीड़ित किया गया है। बहरहाल, कारागार के ज्यादातर पर्यवेक्षक स्वीकार करते हैं कि कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं होने का यह मतलब नहीं है कि कारागार सुरक्षित हैं। इसके विपरीत, दुनिया भर में पूरे बंदी, कारागार स्टाफ और मानवाधिकार कर्मी सहमत हैं कि कारागार में यौन उत्पीड़न के शिकार अब भी अपने अनुभव बताने से परहेज करते हैं - कई बार शर्म के चलते, कई बार बदले के डर से और कई बार बस इस सोच के चलते कि उन्हें कोई मदद उपलब्ध नहीं है।

## कारागार में यौन उत्पीड़न की प्रकृति

कारागार में यौन उत्पीड़न कई रूपों में हो सकता है और कानूनी शब्दावली एवं परिभाषाएं एक देश से दूसरे देश में बदलती हैं, और कई देशों के अंदर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती हैं। जस्टिस डिटेंशन इंटरनेशनल (JDI) कारागार में यौन उत्पीड़न को किसी अन्य बंदी की ओर से कोई अवांछित यौन संपर्क या धमकी और किसी स्टाफ सदस्य की ओर से लज्जा प्रवेश के साथ या उसके बगैर किया गया कोई यौन संपर्क के रूप में परिभाषित करता है जिसमें यह मान्य नहीं रखता कि उत्पीड़नकर्ता या पीड़ित किस लिंग के हैं। यौन उत्पीड़न महिलाओं और पुरुषों दोनों के कारागारों में होता है और उत्पीड़नकर्ता उत्पीड़ित के समान या विपरीत लिंग के हो सकते हैं।

दुनिया भर में कारागारों में हिंसा और बलात्कार होते हैं। ज़िदा रहने के लिए, कुछ कैदियों को ज़्यादा ताकतवर कैदियों के साथ रश्तेक बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें सुरक्षा के एवज में उन्हें सेक्स उपलब्ध कराना होता है। कई जगहों पर कारागार में बलात्कार संगठित कारागार गरिहों से जुड़ा होता है: उत्पीड़ित को इन गरिहों के बीच अकसर "बेच" दिया जाता है या वेश्यावृत्त के लिए मजबूर किया जाता है। ज्यादातर उत्पीड़ितों का कई बार बलात्कार किया जाता है। कारागारों के अंदर खबर तेजी से फैलती है और एक बार बलात्कार का नशिना बनने पर अन्य कैदी और कारागार स्टाफ अकसर उसे शिकार के रूप में चिह्नित करते हैं।

अकसर, कैदियों के बजाय यह कारागार स्टाफ है जो बलात्कार करते हैं। कुछ मामलों में, कारागार स्टाफ कैदियों का बलात्कार कैदियों से करवाते हैं। अन्य मामलों में, वे भोजन, नशा या कृपादृष्टि के वादे के बदले में सेक्स की मांग करते हैं। कुछ कारागार स्टाफ कैदियों के साथ ऐसे यौन संबंध में जाते हैं जो जाहिर तौर पर परस्पर इच्छा पर आधारित प्रतीत होते हैं। अगर यौन गतिविधियां जबरिया नहीं भी की जा रही हो तो कारागार स्टाफ के लिए कैदियों के साथ सेक्स करना कभी उचित नहीं है। कैदियों पर कारागार स्टाफ का पूरा नियंत्रण होता है और वे उनकी स्वतंत्रता को

और भी बाधति कर सकते हैं या उनके जीवन को और भी कठनि बना सकते हैं। इन हालात में, कैदियों के लिए कारागार सटानफ को मना करना अकसर नामुमकनि होता है जो उनके साथ सेक्स करना चाहते हैं।

कारागार में यौन उत्पीकडन राजनीतिकि दम का एक हथियार भी हो सकता है। इन मामलों में, सरकार, कोई कारागार प्रशासक, या कारागार सटानफ सदस्यो सजा देने या डराने के एक रूप के तौर पर उन कैदियों के बलात्काचर के लिए आदेश देता है या मौन मजूरी देता है जनिहें राजनीतिकि वरिधी माना जाता है।

जहां कारागार में हर कसिी का बलात्कातर कयिा जा सकता है, कमजोर माने जाने वाले को खास तौर पर ज्यांदा खतरा होता है। इनमें शामिल हैं: समलैंगिकि और ट्रांसजेंडर कैदी; युवक या कमजोर कद-काठी के लोग; पहली बार जेल गए लोग; और अहसिक कैदी। पुरुषों के कारागार में, अति-पौरुषत्वैवादी, नारी-द्वेषी रुझान व्यापक होते हैं। इसका मतलब है कियौन उत्पीनडन करने वाले को अकसर मजबूत - या मरदाना - माना जाता है और उत्पीडन के शकिार को अकसर कमजोर - या जनाना- माना जाता है। ये रुझान बलात्कार उत्पीरडति के लिए बलात्कानर की रपौरट करना और वांछति मदद मांगना अत्यांत खतरनाक बना देते हैं। यहां तकत कियौन उत्पीपडन का शकिार नहीं हुए कैदी भी ऐसे माहौल को अपनाने के लिए मजबूर हैं जहां प्रबल नहीं समझे जाने वालों के लिए बलात्कादर को जोखमि होता है।

चाहे जसि रूप में भी यह अंजाम पाए, बलात्कार हसिा का एक कृत्यक है जसि प्रभुत्व, शक्ति और नियंत्रण के प्रदर्शन के लिए उपयोग कयिा जाता है। बलात्कारर कभी उत्पीकडति की गलती नहीं होती है।

### उत्पीहडति पर प्रभाव

चाहे घर में कयिा जाए, समुदाय में या कारागार में, बलात्कार और यौन उत्पीहडन के अन्यी रूपों का अत्यंत गंभीर चाहे घर में कयिा जाए, समुदाय में या कारागार में, बलात्कार और यौन उत्पीहडन के अन्यी रूपों का अत्यंत गंभीर भावनात्मक एवं शारीरिकि प्रभाव पडता है। जहां हर उत्पीरडति का अनुभव एक खास तरह का होता है, डर, गुलानि, गुस्सा, अवसार के दौर, दुःस्वरपनह, और बार-बार उन दुश्यों का फरि से आंखों के सामने आना कुछ साझी प्रतिक्रियाएं हैं। नजिता की कमी, अपने माहौल पर नियंत्रण नहीं होने और बलात्कार की लगातार मौजूदगी से कैदियों के लिए ये एहसास और भी तीखे हो जाते हैं।

कारागार में बलात्कार की भावनात्मक कीमत चुकाने के अतिरिक्तक उत्पी डति को एचआईवी या अन्यग यौन संक्रामक रोग होने का खतरा होता है जो मारक हो सकता है। यौन उत्पीडन के अनेक शकिार को हड्डी टूटने जैसी शारीरिकि चोटें भी आती हैं; अकसर इनका इलाज नहीं होता। महिला बंदी को गर्भधारण का खतरा हो सकता है और उन्हें गर्भपात के लिए बाध्य कयिा जा सकता है। हालांकि तत्काल बलात्कार संकट काउंसेलिंग और बलात्कार के बाद यौन संक्रामक रोगों की रोक-थाम के लिए उपचार समेत चिकित्सीकय देख-भाल बहुत उपयोगी हो सकती है, बहुत कम कैदियों को इन सेवाओं तक पहुंच है।

दुनिया भर में, कैदियों का व्यापक बहुमत अंततः जेल से रहिा होता है। वे मानसिकि आघात समेत कारागार के अपने तमाम अनुभव अपने परिवारों और समुदायों में वापस लाते हैं। मदद के बगैर कारागार में बलात्कारर के शकिार लोगों को अवसाद, आत्महृत्यार के रुझान, शराब या नशीली दवाओं की लत पकडनर जैसी गंभीर और दीर्घकालीन समस्याओं की चपेट में आने का जबरदस्ता खतरा होता है।

गुलातन और कारागार में बलात्कार के साथ जुड़े कलंक के चलते कैदी कभी कसिी को नहीं बताते, अपने पार्टनर को भी नहीं कउनके साथ कया हुआ। इससे एचआईवी और अन्यै यौन संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। कारागार में बलात्कारर के अनेक शकिार इस तरह के वयौवहार पाल लेते हैं जनिसे खुद उनको, उनके परिवार को और उनके समुदाय को नुकसान पहुंचता है। अपने भावनात्मक दर्द से प्रभावी रूप से नबिटना नहीं सीख पाए कारागार में बलात्कारर के शकिार बने पूरव कैदियों के आपराधिकि चाल-चलन के फरि से अपनाने का ज्यांदा खतरा होता है। वे गरीबी का शकिार हो सकते हैं और कारागार में उनके लौटने का जोखमि ज्यांदा होता है।

इन वनिशकारी परिणामों के बावजूद, शारीरिकि और मनोवैज्ञानिकि स्वौस्य श लाभ संभव है। समर्थन के सहारे कारागार

में बलात्काशर के शक्तिर लोग अपने सदमों से प्रभावी रूप से नबिटना, इस तरह से अपनी भावनाओं को अभिव्येकृत करना जिससे उनको या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचे और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना सीख सकते हैं। यह बहुत से उत्पीड़ितों को यह समझने में मदद करता है कि वे अकेले नहीं हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बलात्काशर को झेला है, फरि भी उससे उबरने में कामयाब रहे हैं। कुछ मामलों में, कारागार में बलात्काशर के शक्तिर मुखर और सफल मानवाधिकारकर्मी बने हैं और यह सुनिश्चित कर अपने जीवन का एक नया मायने पाया है कि अन्याय लोग उन उत्पीड़ितों का शक्तिर नहीं बनें जिनसे उन्हें खुद गुजरना पड़ा है।

### कारागार में बलात्काशर की रोकथाम

कारागार में बलात्काशर की रोकथाम की जा सकती है। इस तरह के उत्पीड़न खराब नीतियों, खतरनाक दस्तुारों, और कारागार स्टाफ के बीच जवाबदेही की कमी का नतीजा हैं। कैदियों की सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियात अपना कर अनेक कारागार बलात्काशर रोकने में सक्षम रहे हैं। मसाल के तौर पर, संभावित पीड़ितों और संभावित उत्पीड़नकर्ताओं को अलग करना कारागार में बलात्काशर की घटनाओं में कमी लाता है। अचछेत प्रशिक्षण कार्यक्रम कारागार स्टाफ को सीखने में मदद करता है कि कैसे कैदियों को सुरक्षित रखा जाए और बलात्काशर की रिपोर्टों की अचछील तरह जांच की जा सके। यह कारागार नेतृत्व कर्ताओं के लिए अहम है कि वे साफ कर दें कि चाहे स्टाफ करे या कैदी, यौन उत्पीड़न बरदाशत नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पीड़ितों को बनिा किसी बदले की कार्रवाई या अतिरिक्त उत्पीड़न झेले बगैर बलात्काशर की रिपोर्ट करने का सुरक्षित तरीका अवश्य होना चाहिए।

उन कारागारों में बलात्काशर होने की संभावना ज्यादा होती है जो अपनी नीतियों की समीक्षा और अपने स्टाफ की नगिरानी करने की इजाजत नहीं देते या उसे हतोत्साहित करते हैं। अनेक कारागारों में, शक्तिशाली पदों पर आसीन स्टाफ को नरिक्षण के दायरे में नहीं लाया जाता और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया जाता। कैदियों की सुरक्षा के लिए कारागारों को अवश्य ही मजबूत आंतरिक नगिरानी प्रणाली अपनानी चाहिए, और बाहरी एजेंसियों से नयिमति ऑडिटिंग कराने का इच्छुकि होना चाहिए। कारागार में बलात्काशर पर आंतरिक और बाहरी दोनों एजेंसियों की ओर से इकट्ठा किए गए डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए।

वर्ष 2012 में, अमेरिकी न्याय वभिाग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें आकलन किया गया कि 2008 में अमेरिकी कारागारों में 2,09,400 से ज्यादा कैदियों का यौन उत्पीड़न हुआ। व्यापक और कठोर डेटा संकलन पर आधारित इस आकलन ने अमेरिका में समस्या पर व्यापक ध्यापन आकर्षित करने में मदद की।

कठोर नगिरानी तंत्र बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधियों के माध्यम से भी लागू किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र यातना नरिधी कन्वेंशन के अतिरिक्त ऑपश नल प्रोटोकल टू द कन्वेंशन अगेंस्ट टार्चर (ओपीसीएटी) के तहत हस्ताक्षर करने वाले देशों को स्वतंत्र राष्ट्रीय एजेंसियां गठित करना होता है जो यातना रोकने के मकसद से कारागार का नयिमति दौरा करती हैं। अब तक 71 देशों ने ओपीसीएटी का अनुमोदन किया है। ओपीसीएटी के सार्वभौम अनुमोदन से ये कारागार पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुधरेगी और इससे बलात्काशर की घटनाओं में कमी आएगी।

इस उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार के साथ ही कारागार में बलात्काशर के प्रति लोगों की सोच में भी परिवर्तन आना जरूरी है। अक्सर, बलात्काशर का कलंक, या यह सोच कि कैदी तो बलात्काशर के पात्र हैं, पीड़ितों को अपने उत्पीड़न के बारे में बोलने और वांछित मदद पाने से रोकती है। पीड़ितों को अवश्य ही नरिबाध रूप से अपने अनुभव के बारे में बोलना चाहिए ताकि समस्या समझी जा सके। कैदियों समेत सभी लोगों की सुरक्षा और गरमा का सम्मान करने वाला सार्वजनिक रुख पीड़ितों के लिए अपने उत्पीड़न के बारे में बोलना आसान कर देते हैं और अंततः कारागार में बलात्काशर रोकने में मदद करेगा।

धन्या हो जेडीआई और मानवाधिकार की वकालत करने वाले अन्यक की, अमेरिका में कारागार में बलात्काशर के प्रति सार्वजनिक रुख छछिरे, गलत सूचना पर आधारित घिसी-पट्टी धारणा से हट रहा है और व्यापक मान्यता की तरफ जा रहा है कि यह उत्पीड़न मानवाधिकार का उल्लंघन है।

### जस्टस डिटेंशन इंटरनेशनल के बारे में

जस्टस डिटेंशन इंटरनेशनल एक स्वास्युट एवं मानवाधिकार संगठन है जो कारागार में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अन्यायपूर्ण प्रकरणों को खत्म करना चाहता है। अपने कार्य के लिए जेडीआई के तीन प्रमुख लक्ष्य हैं: कारागार में बलात्कार के प्रति सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाना; कैदियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को महत्व देने वाले सार्वजनिक रुख को बढ़ावा देना; और यह सुनिश्चित करना कि कारागार में बलात्कार के शिकार बने लोगों को वह मदद मिले जो वे चाहते हैं।

जेडीआई की स्थापना 1980 में कारागार में बलात्कार के अमेरिकी पीड़ित रसेल डान स्मिथि ने की थी। स्मिथि की तरह स्टीफन डोनाल्डसन और टॉम काहलि समेत संगठन के शुरुआती नेताओं में से ढेर सारे खुद भी कारागार में बलात्कार के शिकार थे।

युद्ध वरिधी प्रदर्शन के दौरान गरिफ्तार होने के बाद डोनाल्डसन के साथ अन्य आ कैदियों ने बार-बार बलात्कार किया। एक शक्तिशाली लेखक, डोनाल्डसन ने कारागार में बलात्कार की समस्या के प्रति राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने 1994 के सुप्रीम कोर्ट केस फार्मर बनाम ब्रेनन में जेडीआई के एमकिस ब्रीफ में समन्वय किया। 1996 में डोनाल्डसन की मृत्युल एड्स से हो गई। कारागार में बलात्कार के दौरान वह एचआईवी से संक्रमित हो गए थे।

दगिगाज मानवाधिकार कर्मी और युद्ध-वरिधी टॉम काहलि का भी अन्याय बंदियों ने सामूहिक बलात्कार किया था। काहलि 1998 में जेडीआई के अध्याक्ष बने और कारागार में बलात्कार रोकने के उनके प्रयास की परिणति 2003 के कारागार बलात्कार उन्मूलन अधिनियम (पीआईए) पारित होने में हुआ। यह इस उत्पीड़न को रोकने में पहला अमेरिकी दीवानी कानून था।

जेडीआई इस तरह के उत्पीड़न की समाप्ति के लिए समर्पित दुनिया का एकमात्र संगठन है। संगठन के संस्थोपकों ने अमेरिका में कारागार में बलात्कार पर ऐसे वक्त में आवाज बुलंद की थी जब बहुत कम के पास ऐसा करने का हौसला था। उनके समर्पण ने कारागार में बलात्कार पर अमेरिका और दुनिया में जागरुकता बढ़ाई, और इसके वरिध में कार्रवाई करने के लिए ढेर सारे लोगों को प्रेरित किया। आज कारागार में बलात्कार के पीड़ित जेडीआई के काम-काज में अनन्यर भूमिका निभाता जारी हैं।

जेडीआई के काम-काज का प्रमुख सिद्धांत है कि जब सरकार किसी व्यक्तिको उसकी आजादी से वंचित कर देती है तो वह उस व्यक्तिको सुरक्षित रखने की पूर्ण जम्मेदारी लेती है। कारागार में बलात्कार रोक जा सकता है। समर्पित नेताओं, अच्छी नीतियों और ठोस प्रक्रियाओं के साथ कारागार कैदियों को सुरक्षित रखने में सफल रहते हैं। जेडीआई कानून एवं नीतियां विकसित करता है, कारागार के स्टाफ को प्रशिक्षित करने और कैदियों को शिक्षित करने के लिए कारागारों के साथ काम करता है और हर साल कारागार में बलात्कार के हजारों पीड़ितों को सूचना मुहैया कराता है।

जेडीआई कारागार में बलात्कार के हमेशा-हमेशा के खात्माह के लिए मानवाधिकार की वकालत करने वाला, कारागार स्टाफ, नीतिनिर्माताओं, मेडिकल देखभाल एवं काउंसेलिंग प्रदाताओं, और कारागार में बलात्कार के पीड़ितों के साथ वैश्विक स्तर पर संबंध बनाना चाहता है।

चाहे किसी ने कोई भी अपराध किया हो, बलात्कार सजा का हिसां नहीं है।

\*\*\*

जेडीआई अमेरिका में आधारित है और उसका एक कार्यालय दक्षिण अफ्रीका में भी है। जेडीआई ने बोट्सवाना, गुयाना, भारत, जमैका, मेक्सिको, फिलीपीन और ब्रिटन में भी एडवोकेसी संचालित की है। अभी जेडीआई के पास इस संक्षिप्त वरिण के अलावा केवल अंगरेजी और स्पेनिश में पत्रोच्चार करने एवं सूचना प्रदान करने की क्षमता है। जेडीआई कारागार में बलात्कार के पीड़ितों के लिए सरिफ अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में बलात्कार संकट काउंसेलिंग के लिए रेफरल, कानूनी सहायता, और अन्याय संसाधन की पेशकश करता है। जेडीआई के काम-काज के बारे में ज्योदा जानने के लिए कृपया [www.justdetention.org](http://www.justdetention.org) पर जाएं।

### संदर्भ

<sup>i</sup> लोगों को कैद करने हेतु उपयोग होने वाली सुविधाओं के समान ही, कारागार प्रणालियाँ एक देश से दूसरे देश में और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। इस दस्तावेज़ के प्रयोजन हेतु, “कारागार” वयस्क कारागारों एवं जेलों, युवा कारावास सुविधाएं, स्थानीय कारावास सुविधाएं, और पुलिस “हवालात” समेत सभी प्रकार की नजरबंदी सुविधाओं का उल्लेख करता है।

<sup>ii</sup> National Standards to Prevent, Detect, and Respond to Prison Rape, अमेरिकी न्याय विभाग, 17 मई, 2012, [http://www.ojp.usdoj.gov/programs/pdfs/prea\\_final\\_rule.pdf](http://www.ojp.usdoj.gov/programs/pdfs/prea_final_rule.pdf) पर उपलब्ध।

#### JUST DETENTION INTERNATIONAL

3325 Wilshire Blvd., Suite 340  
Los Angeles, CA 90010  
Tel: (213) 384-1400  
Fax: (213) 384-1411

East Coast Office  
1900 L Street NW, Suite 601  
Washington, DC 20036  
Tel: (202) 506-3333  
Fax: (202) 506-7971

South Africa Office  
2nd Floor, Norwood Place  
66 Grant Avenue, Norwood  
Johannesburg 2192  
South Africa  
Tel: 27 0 11 483 0989

[info@justdetention.org](mailto:info@justdetention.org)  
[www.justdetention.org](http://www.justdetention.org)